अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं0– 7/2016-17

वाद का प्रकारः– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
9.11.2022	**Covid-19** के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तनान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक 8.12.2022 को उपस्थापित करें। 9/11/22 अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	
8.12.2022	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सह–पठित –श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू– अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक रा0–3 खा0म0निति 119/85/2308/रा0, दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं0– 914/रा0 दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा0. दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म जंगल झाड़ी) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अचंल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:– मौजा मुरुमदाग थाना नं0 328 खाता सं0 37 प्लॉट सं0 8.54.822 रकबा 7.89 एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म जंगल झाड़ी अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द सं0 I के पृष्ट सं0 126 पर जमाबंदी रैयत मुन्नी कुँवर पिता पिता भुईयां के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित	

मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

24.12.22 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में [illegible] भू-दान [illegible] [illegible] 7101[illegible], [illegible] 2010-11 [illegible] समर्पित किया गया है। इस संबध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.01.2023 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

7.01.23 अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा मुरुमदाग मौजा नं0 328 खाता सं0- 37,39 प्लॉट सं0- 55, 84 [illegible], रकबा 7.85 [illegible] किस्म [illegible] खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि भू-दान द्वारा कार्यालय, डालटनगंज, पलामू के द्वारा प्रपत्र-5 में प्राप्त है जिसका क्रम सं0 71017 है। उक्त भूमि का DCLR/SDO के द्वारा लगान निर्धारण नहीं हुआ है। तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अवैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष 2010-11 तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षके के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी सं0 136/1 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

7/01/23
अंचल अधिकारी
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला

चेक–लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम – पलामू , अंचल छत्तरपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एंव भूमि का विवरण :–

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं॰	खाता नं॰	खेसरा नं॰	रकवा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
कुंती भुईयाँ	~~सिरा भुईया~~	328	37	55/3	5.50	गैरमजरूआ मालिक	जंगल झाड़ी
पिता सिरा भुईया	मुरुमदाग		39	844, 872, 645	2.39	कायमी लगान पाने वाला	धनखेत तीन

3. भूमि का वर्त्तमान स्वरूप :– प्लॉट सं॰ 55/3 का स्वरूप जंगल झाड़ी एवं प्लॉट सं॰ 844, 872, 645 – धनखेत तीन

4. अवैध जमाबंदी पंजी–II में कब से संधारित है? :– पंजी-II में जमाबंदी कायम वर्ष दर्ज नहीं है

5. उक्त जामबंदी पंजी–II में दर्ज करने वाले कर्मचारी / पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी / कर्मी का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पत्ता कर उल्लेखित करें) :– चालू पंजी-II के पृष्ठांकन के लिए प्राधिकार कॉलम में नाम दर्ज करने वाले पदा. का नाम दर्ज नहीं है।

6. नामान्तरण / दाखिल – खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :– — NA —

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार :– मांग पंजी-II में कोई स्पष्ट विवरण दर्ज नहीं है।

   (क) अनिबंधित ,सादा हुकुमनामा :–

   (ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :–

   (ग) अवैध भू–बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :– —

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा–कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100 / –रूपये से कम या इससे अधिक) :– — —

अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :– } अंचल कार्यालय में मौजूद चालु मांगपंजी II एवं खतियान से

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से :–

(ख) अंचल / अनुमंडल में संधारित बंदोबस्ती पंजी से :–

(ग) दाखिल–खारिज / भू–हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :–

10. (क) अवैध जमाबंदी यथा दिनांक–01.01.1946 के पूर्व से कायम है :– नहीं

(ख) क्या दिनांक–01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल–दर–साल निर्गत है? :– नहीं

11. क्या दिनांक–01.01.1946 के बाद से 1955–56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :– नहीं

12. वर्ष 1954–55 में हुए फिल्ड –बुझारत पंजी में दखल–कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :– नहीं

13. राजस्व उप–निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :–

प्रतिवेदित भूमि मौजा मुरुमदाग खाता सं. 37 प्लॉट 55/3 रकबा 5.50 एवं खाता सं. 39 प्लॉट 844, 872, 645 रकबा 2.39 का मांग मांगदार मुरारी उरईया पिता चिरा उरईया के नाम से फोलियो 136/1 पर दर्ज है। उक्त भूमि का मांग आनलाईन मांग पंजी-II के पेज सं. 61/2 पर भी दर्ज है जिसमें परीक्षण के लिए प्राधिकार कालम में "Demand opened by the order co chatterpur on dated 15/06/62 vide order no nil the rent will be released from 1959-60" दर्ज है। प्रतिवेदित भूमि मांगदार को आरएस हुकुमनामा पत्र कमिटि के द्वारा प्रपत्र 5 में क्रम सं. 71017/14200 के द्वारा प्राप्त है जिस भूमि का DCLR/SDO द्वारा लगान निर्धारण का सम्पुष्टि का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवेदित प्लॉट 55/3 का किस्म जंगल झाड़ी है तथा [illegible] गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है तथा प्लॉट 844, 872 का खतियान में किस्म दर्ज नहीं है एवं प्लॉट 645 का किस्म धान खेत तीन दर्ज है एवं तीनों प्लॉट खाता 39, कायमी लगान पाने वाले खाते की भूमि है अतः खाता 39 प्लॉट सं. 844, 872, 645 रकबा 2.39 एकड़ जिस पर मांगदार का दखल है का मांग यथावत रखते हुए शेष खाता 37 प्लॉट 55/3 रकबा 5.50 ए. का मांग अवैध करार

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरात मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :–

देते हुए मांग को स्थगित किया जा सकता है। प्रतिवेदन समर्पित। [signature]

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया, सही पाया। अतः उपरोक्त गैरमजरूआ खाता की भूमि जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा किया जा सकता है। [signature]

[signature]

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	भूमि–सुधार उप समाहर्त्ता, छत्तरपुर।	अनुमण्डल पदा., छत्तरपुर।	अपर समाहर्त्ता, पलामू।	उपायुक्त पलामू

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– मुंशी मुईया पिता श्री बिरा मुईया

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 1, 2 पृष्ठ सं. 136, 61 पर कायम है

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकवा (ए.)
मुरुमडीहा	328	37	55/3	5.50
		39	844, 872, 645	2.39

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :– पंजी-II के मांग संधारण वर्ष दर्ज नहीं है।

4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– खाता 37 – गैरमजरूआ मालिक
खाता 39 – बकाश्त लगान पाने वाला

5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :– दर्ज नहीं है।

6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :–

NA

प्रतिवेदित भूमि का पंजी-II के दो पेज पर मांग दर्ज है।
मांग पंजी-II पेज सं. 136/1 – कुछ दर्ज नहीं है
पेज सं. 61/2 – Demand opend by the order of CO clpr on dated 15/06/62, rent recvd from 1959-60

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू–बंदोबस्ती) :–

8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी (भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू–हस्तांतरण पंजी) :–

चालू मांग पंजी-II एवं खतियान से

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :–

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
01	477971	02.06.10	2010-11

कार्यालय, अंचल अधिकारी,छत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं0......7....../20..16-17.... (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950

सूचना

बनाम....मेघार भुईयां....

....पिता – मुंशी भुईयां....

....

एतद द्वारा आपको सूचित कया जाता है कि मौजा....मुरुमदाग.... थाना नं0.......
खाता सं0.....37.39.... खेसरा नं0....844, 872.... रकबा....7.39.... से संबंधित आपके नाम से
ह0 नं0....... के पंजी–II भाग ....1.... के पृष्ठ ....136.... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक....24/12/2022.... को समय....11:00.... बजे पूर्वाहन में उक्त भूमि का रिटर्न–1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहूँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

Digitally signed by MODASAR NAZAR MANSURI
Date: 2023.01.07 22:02:05 +05:30
Location: 192.168.65.5

7667307375